फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना**

शंकर लाल बनाम गोविन्दराम आदि

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. [redacted] 47 सन् 202[redacted]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी का सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.3.2021 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादी के हिस्से का विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील वादी को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि खातेदारान के मध्य मौके व रिकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिससे वादी भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2021/3731 दिनांक 28.09.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	